छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   द्वादश सत्र   अंक-12

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 मार्च, 2013

(फाल्गुन-14, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, 05, 07 से 14 एवं 17 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 01, 04, 06, 15 एवं 16 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमश: श्री टी.एस.सिंहदेव, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री रविन्द्र चौबे, लखमा कवासी एवं डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 38 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. सदन को सूचना

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में दिनांक 05, 06 एवं 07 मार्च, 2013 को तीन दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। माननीय सदस्य प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे के मध्य शिविर का लाभ ले सकते हैं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(2) श्री राजेश मूणत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट इंड्रस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002, इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003, बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004, तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-2005 तथा चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006, **पटल पर रखे।**

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में संचालित आदिवासी छात्रावासों में व्याप्त अनियमितता की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत राजा नवागांव के तालाबों को ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के मछुवा सहकारी समिति को लीज पर दिये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ओमप्रकाश राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने विकासखंड जैजैपुर के ग्राम भोथिया में उप-तहसील कार्यालय प्रारंभ किये जाने,

(2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने पामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत खैराडीह से शुक्लाभाठा पुल निर्माण किए जाने,

(3) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने, तथा

(4) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने मुख्यमंत्री बाल ह्दय योजना अंतर्गत स्कार्ट अस्पताल में अधूरा इलाज कराये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

7.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय कृषि मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री अग्नि चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू (धर्मजीत सिंह-अनुपस्थित), शिवराज सिंह उसारे, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा,

(सभापति महोदय (श्री ताम्रध्वज साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री परेश बागबाहरा, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, लेखराम साहू, दीपक कुमार पटेल, अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री खेदूराम साहू, दूजराम बौद्ध, भोलाराम साहू, फूलचंद सिंह, (श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री चैतराम साहू-अनुपस्थित), श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री ह्दयराम राठिया, (श्री भजन सिंह निरंकारी-अनुपस्थित)।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 4 (2) पर चर्चा प्रारंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबधित मांग संख्या 76, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबधित मांग संख्या 26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या 37 एवं राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, अग्नि चंद्राकर, अमरजीत भगत, देवेन्द्र बहादुर सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री हृदयराम राठिया, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-67 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अमरजीत भगत, हृदयराम राठिया, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-27 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अग्नि चंद्राकर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री हृदयराम राठिया, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-51 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, **मांग संख्या-26 पर** श्री रविन्द्र चौबे डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री अग्नि चंद्राकर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, **मांग संख्या-37 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।
डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (चर्चा अपूर्ण)

सायं 5.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 6 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 15 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा